

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1007 / 2024

डॉ. नन्दकिशोर शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुर्वेद, योग एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. डॉ. विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी-1, राजकीय आयुर्वेद औषधालय बढेर, अलवर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2024

आदेश की दिनांक : 18.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिरसी, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, पावटा, जयपुर किया गया है। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्था संख्या 3 को अलवर से अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी की किडनी का ट्रांसप्लांट 5 वर्ष पूर्व हुआ था। वह किडनी की बीमारी से ग्रस्त है, जिसका हर माह डॉक्टर बाहर से चैकअप करने आता है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है। अधिकरण द्वारा ऐसी गंभीर बीमारियों

पर स्थगन आदेश जारी किये गये हैं। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की परेशानी को नजरअंदाज करते हुये आलोच्य आदेश जारी किया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिरसी, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, पावटा, जयपुर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक-2 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी किडनी जैसी गंभीर बीमारी से पीडित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है। अपीलार्थी की वर्तमान गंभीर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी को अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य